न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँ, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 167 / 2021 प्रार्थना पत्र
GCMS No. : 2021/367

श्री करणसिंह पिता ज्ञानचंद जाति महाजन जैन आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज. ।

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा।

.... विपक्षी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 29.09.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी के कब्जे खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की आराज नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके मौजा सतखण्डा, पटवार मण्डल, सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1789 / 260 / 1666 रकबा 10 बिस्वा है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई। उक्त आराजी के पडोस उत्तर में भगवाना पिता हंसा गाडरी की जमीन, दक्षिण में सतखण्डा गांव में जाने का रास्ता, पूर्व में 10 फीट चौडा रास्ता व उसके बाद राधेश्याम पिता रामलाल सुथार तथा रामलाल पिता खेमा डांगी की जमीन, पश्चिम में विक्रेता भगवानलाल गाडरी की जमीन व किशन सरगरा का मकान। सेटलमेन्ट पश्चात के नक्शे में आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर का एक ही नक्शा बनाया गया हैं जबकि मेरे 10 बिस्वा भूमि का अलग से नक्शा उक्त पडोसियों के मध्य तरमीम नहीं किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible] में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को मौके पर कब्जे अनुसार एवं [illegible] रेकार्ड में दर्ज पुरानी एवं नयी जमाबंदी में दर्ज अनुसार नवीन [illegible] इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:51 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक : राजस्व / 2023 / 288 दिनांक 17.02.2023 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के

अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज पुरानी एवं नयी जमाबंदी में दर्ज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम सतखण्डा की वर्तमान आराजी नम्बर (नवीन बन्दोबस्त) 800 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0.09 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 804 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 806 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 804 / 2339 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 806 / 2340 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि गत साबिक आराजी नम्बर 260 से बनाई गई है। यह कि गत भू–प्रबन्ध के नक्शा में आराजी नम्बर 260 के टुकडों की तरमीम के अभाव में नवीन भू–प्रबन्ध में नक्शें में एक ही चर्तुसीमा में उपरोक्त सभी आराजी नम्बर का अंकन किया गया, जिसको सेग्रिगेशन के दौरान त्रुटि होने की संभावना को देखते हुए भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एकीकरण प्रस्ताव तैयार कर बाद स्वीकृति नामान्तरण संख्या 679 से उपरोक्त आराजी एकीकरण कर शामिल दर्ज किए हुए है एवं खातेदारान का रकबा हिस्से में दर्ज हुआ है। यह कि गत साबिक आराजी के टुकड़ों की तरमीम नहीं होने एवं भू–प्रबन्ध द्वारा नवीन आराजी नवीन नक्शे में एक ही ब्लॉक में दर्शाने से नियमानुसार एकीकरण किया जाकर रिकार्ड सेग्रीगेशन हेतु अपडेट किया गया, जिसमें गत के मुकाबले नवीन नक्शे में त्रुटि मानकर 136 एल.आर. एक्ट के तहत शुद्धि का प्रकरण नहीं बनता है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त [illegible] अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–1[illegible] आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली [illegible] दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बह[illegible] मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी ने साबिक आराजी नम्बर 1789 / 260 / 1666 रकबा 10 बिस्वा भूमि क्रय की थी। इस आराजी एवं अन्य साबिक आराजियात को मिलाकर सेटलमेन्ट पश्चात् नवीन आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर बनाया गया। प्रार्थी अपनी 10 बिस्वा भूमि की तरमीम प्रार्थना पत्र में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:51 IST
Reason: SelfAttested

पडोसियों के मध्य करवाना चाहता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सतखण्डा की वर्तमान आराजी नम्बर (नवीन बन्दोबस्त) 800 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0.09 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 804 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 806 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 804/2339 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 806/2340 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि गत साबिक आराजी नम्बर 260 से बनाई गई है। गत भू–प्रबन्ध के नक्शा में आराजी नम्बर 260 के टुकडों की तरमीम के अभाव में नवीन भू–प्रबन्ध में नक्शें में एक ही चर्तुसीमा में उपरोक्त सभी आराजी नम्बर का अंकन किया गया, जिसको सेग्रिगेशन के दौरान त्रुटि होने की संभावना को देखते हुए भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एकीकरण प्रस्ताव तैयार कर बाद स्वीकृति नामान्तरण संख्या 679 से उपरोक्त आराजी एकीकरण कर शामिल दर्ज किए हुए है एवं खातेदारान का रकबा हिस्से में दर्ज हुआ है। यह कि गत साबिक आराजी के टुकड़ों की तरमीम नहीं होने एवं भू–प्रबन्ध द्वारा नवीन आराजी, नवीन नक्शे में एक ही ब्लॉक में दर्शाने से नियमानुसार एकीकरण किया जाकर रिकार्ड सेग्रीगेशन हेतु अपडेट किया गया, जिसमें गत के मुकाबले नवीन नक्शे में त्रुटि मानकर 136 एल.आर. एक्ट के तहत शुद्धि का प्रकरण नहीं बनता है। चूंकि साबिक आराजी नम्बर 260 के हुए टुकडों की तरमीम साबिक नक्शे में नहीं की गई थी अतः साबिक नक्शे में प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 1789/260/1666 रकबा 10 बिस्वा की तरमीम नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत शुद्धि योग्य नहीं होने अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी हाल आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर के सहखातेदार की सहमति से आपसी सहमति विभाजन करवाकर अथवा न्यायालय हाजा में बंटवारे का दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दायर कर राहत प्राप्त कर सकता है।

6. न्यायालय हाजा में दर्ज प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 582/2016 उनवान तखतसिंह पिता ज्ञानचंद जाति महाजन जैन बनाम सरकार में भी ग्राम सतखण्डा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 804 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 1791/260/1666 रकबा 10 बिस्वा है उक्त भूमि की तरमीम मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज पुरानी एवं नयी जमाबंदी में दर्ज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्त करने बाबत है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 804 भी उपरोक्तानुसार नवीन आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर में सम्मिलित कर दी गई है। अतः इस प्रकरण का निर्णय भी प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 167(2021) अनुसार ही है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं साबिक रिकार्ड से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:18:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

29/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा